



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर लूट व हत्या के प्रयास में अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 75/16 धारा-394,307,411 भा0द0सं0 व 7सीएलए एक्ट व 2(बी)/14डीए एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त श्रवण कुमार पुत्र कमल सिंह निवासी भेडीडाडा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को धारा 394,307, भा0द0सं0 व 7सीएलए एक्ट व 2(बी)/14डीए एक्ट में दोषसिद्ध करते हुये 07 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



एडीजीसी राजेश कुमार
तिवारी



विवेचक-
उ0नि0 रोशन लाल
सरोज



पैरोकार
थाना-जलालपुर
का0 अमरेन्द्र नारायण मौर्या